बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–4/अ0प्र0–1–07/2018 229 /पटना दिनांक–29/9/21

1. विभागीय पत्रांक–2883 दिनांक–08.03.2017 में संसूचित निर्णय के आलोक में कतिपय कनीय अभियंताओं को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखाओं का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है:–

(i) श्री भवेश चन्द्र दास (गृह जिला–बांका), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, वारसोई के कार्य प्रशाखा, वारसोई–1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, वारसोई–3 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(ii) श्री अनुज कुमार सिंह (गृह जिला–नवादा), संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय, कार्य प्रशाखा, वीरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, बेगुसराय–1 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश बिल्कूल अस्थायी है, इसके लिए अलग से कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। आवश्यकतानुसार इस आदेश को किसी भी समय निरस्त/संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार वाले उक्त कार्य प्रशाखा में किसी कनीय अभियंता का पदस्थापन होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।

3. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

4. **यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।**

29/9/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:–4/अ0प्र0–1–07/2018 4848 /पटना दिनांक– 29/9/21

प्रतिलिपि:– मुख्य अभियंता–2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई/बेगुसराय एवं संबंधित कनीय अभियंता तथा अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि उक्त कनीय अभियंताओं को प्राप्त अतिरिक्त प्रभार वाले प्रशाखा के प्रभार का आदान प्रदान तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे।

29/9/21
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:–4/अ0प्र0–1–07/2018 4848 /पटना दिनांक– 29/9/21

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/21
अभियंता प्रमुख।

Office Order